राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांक प.3(313)नविवि/3/2011 पार्ट   जयपुर, दिनांक 12 MAY 2017

प्रमुख शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
जयपुर।

आयुक्त/सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास (समस्त),
राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना–2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत निम्न अधिसूचनाएं जारी की हैः–

1. अधिसूचना क्रमांक प.9(126)राज 6/2012 दिनांक 12.04.2017 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियो को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 53 की उप धारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमो के तहत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार पर प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।
2. अधिसूचना दिनांक 12.04.2017 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनयम, 1956 की धारा 90–ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियो को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।
3. अधिसूचना दिनांक 12.04.2017 द्वारा राज्य सरकार समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(10)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक पः- 9(126)राज–6 / 2012 / 10 जयपुर, दिनांकः– 12-04-17

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, संख्या 15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निबन्धक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक   में प्रकाशन हेतु।
11. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।
14. अनुभागाधिकारी, राजस्व (समन्वय–5) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक पः–9(126)राज–6/2012/09   जयपुर, दिनांकः– 12-04-17

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, संख्या 15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) सपठित धारा 26 उप–धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निबन्धक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषाक दिनाक   में प्रकाशन हेतु।
11. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।
14. अनुभागाधिकारी, राजस्व (समन्वय–5) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक पः–9(126)राज–6/2012/08 जयपुर, दिनांकः– 12-04-17

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, संख्या 15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम 3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप–धारा (2) (i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निबन्धक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशन हेतु।
11. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।
14. अनुभागाधिकारी, राजस्व (समन्वय–5) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव